

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:—संस्था 24(4)(1)स्था./संविदा/च0श्रे0/अभि./2023/4132-63

दिनांक 23.05.2023

—: आदेश :—

अभियोजन विभाग में काफी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद रिक्त होने के कारण सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक एफ.17(10)डी.ओ.पी./ए-2/94 दिनांक 28.03.2023 में वर्णित शर्तों के अनुसार नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी.पी. देय होती है इसलिये उच्च पद से सेवा निवृत्त कार्मिक की यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति की जाती है तो निम्न पद पर नियुक्त ऐसे कार्मिक को उस पद से सम्बन्धित सेवा के निम्नतम पद के लिये निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत योग्य तीसरी उच्च ग्रेड-पे के अनुसार (परिशिष्ट-क) समेकित पारिश्रमिक के आधार पर निम्नानुसार सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके नाम के सामने कॉलम संख्या 5 में अंकित अभियोजन कार्यालयों में राज्य कार्य करने हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर तुरन्त प्रभाव से संविदा पर अस्थाई रूप से नियुक्ति दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

| क्र.स. | आवेदक का नाम | जन्म तिथि | सेवा निवृत्त से पूर्व विभाग का नाम | अभियोजन कार्यालय जिसमें नियुक्ति की जानी है। | वि.वि. |
|--------|--------------------------|------------|------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | श्री दिनेश चन्द्र मंत्री | 28.05.1962 | न्याय विभाग, भीलवाड़ा | सनिय भीलवाड़ा | प्रथम बार |
| 2. | श्री रमेश चन्द | 15.11.1962 | शिक्षा विभाग अजमेर | सनिय अजमेर | प्रथम बार |
| 3. | श्री मीदूलाल सेन | 01.01.1962 | अभियोजन विभाग | सनिय चित्तौड़गढ़ | प्रथम बार |
| 4. | श्री ओमप्रकाश शर्मा | 01.07.1962 | पंचायती राज विभाग | सनिय सवाई माधोपुर | प्रथम बार |
| 5. | श्री बालम सिंह | 29.10.1962 | न्याय विभाग कोटा | सनिय कोटा | प्रथम बार |
| 6. | श्री ललित कुमार पायक | 13.07.1961 | चिकित्सा विभाग कोटा | सनिय भीलवाड़ा | प्रथम बार |
| 7. | श्री चेनाराम मीणा | 15.04.1962 | राजस्व विभाग उदयपुर | सनिय उदयपुर | प्रथम बार |
| 8. | श्री रामजीलाल वर्मा | 14.06.1961 | केन्द्रीय कारागृह जयपुर | सनिय दौसा | प्रथम बार |
| 9. | श्री शिव कुमार शर्मा | 21.09.1961 | राजस्व विभाग चित्तौड़गढ़ | सनिय चित्तौड़गढ़ | प्रथम बार |
| 10. | श्री रामखिलाड़ी | 01.04.1963 | अभियोजन विभाग | सनिय दौसा | प्रथम बार |
| 11. | श्री ताराचन्द | 25.10.1962 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | अभियोजन निदेशालय | प्रथम बार |

Signature valid

Digitally signed by P. Sharma
Designation: Director
Date: 2023.05.23 10:00:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3879282



| | | | | | |
|-----|-----------------------|------------|--|---------------|-------------|
| 12. | श्री नारायण लाल सालवी | 01.02.1962 | अभियोजन विभाग | सनिअ उदयपुर | द्वितीय बार |
| 13. | श्री लक्ष्मण गिरी | 02.06.1960 | जिला परिषद्, ग्राम विकास प्रकोष्ठ डूंगरपुर | सनिअ डूंगरपुर | द्वितीय बार |
| 14. | श्री हकरालाल | 05.09.1961 | सार्वजनिक निर्माण विभाग | सनिअ डूंगरपुर | द्वितीय बार |

1. कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या क्रमांक फ.17(10)डी.ओ.पी.ए-II/94 दिनांक 28.03.2023 के क्रम में नियुक्ति आदेश सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर जारी करेंगे।
2. पुनः नियुक्त कर्मचारी अभियोजन कार्यालय में राशि रुपये 500/- के स्टाम्प पर अनुबन्ध पूर्ण कर हस्ताक्षरित करेंगे।
3. चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी से कार्य करने का शपथ पत्र सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे।
4. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अन्य न्यायालयों में भी कार्यव्यवस्था के लिये निर्देशित कर सकता है।
5. पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा अवधि कार्यग्रहण दिनांक से आगामी एक वर्ष तक के लिए अथवा नियमित कार्मिकों के पदस्थापन में से जो भी पहले हो की अवधि तक दी जाती है। संविदा पुनर्नियुक्ति सेवायें किसी भी दशा में 65 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होगी।
6. इनके पारिश्रमिक का भुगतान बजट मद 2014-00-114-02-01(01) संवेतन व्यय (स्टेट फण्ड) से प्रभार्य होगा।
7. यह आदेश प्रशासनिक विभाग गृह (गुप-10) विभाग से राजकाज ई-फाईल पर प्राप्त सहमति दिनांक 15.05.2023 के आधार पर जारी किया जा रहा है।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को वर्णित शर्तों के अनुरूप कार्यग्रहण करवायें तथा आपके कार्यालय से सम्बन्धित संविदा कर्मचारी को नियुक्ति प्रदान करने के पश्चात उपस्थिति की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अनुभागाधिकारी, गृह(गुप-10)विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि0), राजस्थान, जयपुर।
4. सहायक निदेशक अभियोजन—
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन।
6. लेखाशाखा/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर

Address: Room No: 7226, 2nd Floor, Food Building, Secretariat,
Jaipur(Rajasthan), Pincode: 302005, Phone & Fax: 0141-2227806

Email address: prosecution@rajasthan.gov.in

Signature valid

Digitally signed by Ravi Sharma
Designation: Director
Date: 2023.05.23 10:00:16 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3879282

